तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10.12.24	पत्रावली पेश हुई व मुलाहिजा पक्षकारान उप० प्रति० सं० 17,18,19 की ओर से वकालतनामा श्रीमान [illegible] शर्मा Adv. द्वारा पेश किया सं. 16 की ओर से गया। तथा प्रति वादी गण [illegible] की गई प्रा०पत्र रखवाए जाकर जवाब प्रा०पत्र पेश की गई [illegible] [illegible] की जाकर उनके [illegible] प्रतिवादीगण [illegible] किया जाता है तथा [illegible] प्रतिवादीगण [illegible] दस्तावेज पेश 12,14,15,21 की ओर से [illegible] की जावे पत्रावली [illegible] किया तलबी जरिये रजि० डाक दिनांक 07.02.25 को पेश हो। [signature]
07.02.25	आज यह पत्रावली पेश हुई व मुलाहिजा पक्षकारान। दौरान बहस प्रार्थी उपस्थित उन्हें सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रा०पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता को प्रा०पत्र में अंकित अधिवक्ता बिन्दुओं को अस्वीकार किया गया। हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर मनन किया गया तथा वादी पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि विवादित आराजी का वादी मौके पर [illegible] बाअजह विभाजन नहीं हुआ है सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाना वाजिब है ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी से बचने एवं कानूनी पेचीदगियां पैदा नहीं हो इनको ध्यान में रखते हुए प्रा०पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। दिनांक 19.04.21 को जारी हुआ स्थगन ता फैसला दावा पुष्ट किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 07.02.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल मूल वाद हो। [signature]

राधेश्याम मीणा
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)